न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 76/2018 **दायरा दिनांक : 04.06.2018**

उनवान

1— राधेश्याम आत्मज मोतीलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

2— मोडूलाल आत्मज मोतीलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

3— प्रकाश आत्मज मोतीलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— हेमराज आत्मज मोहनलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

2— नन्दराम आत्मज मोहनलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

3— विनोद आत्मज मोहनलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

4— सोनू आत्मज मोहनलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

5— विकास नाबालिग जरिये वली माता बिरधीबाई बेवा मोहनलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

6— बिरधी बाई बेवा मोहनलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

7— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़ जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री दयाराम सैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मदनलाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.11.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 17/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री जैर अपील पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में स्वयं ही वाद का निस्तारण करने में त्रुटि की है जबकि उक्त नियमित रूप से अदालत में चल रहा था जहां दोनों पक्षकारान अदालत हाजा में उपस्थित होने आ रहे थे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादीगण को कैम्प की सूचना दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में ही आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि विवादित आराजी सहखातेदारी की आराजी है जिसको स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में माना है । इसके उपरान्त भी एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई तथा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में किसी सहखातेदार के विरूद्ध जब स्थायी निषेधाज्ञा ही जारी नहीं की जा सकती है तब भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी तथा इससे भी बढ़कर एक सहखातेदार के विरूद्ध यदि सहखातेदार उक्त भूमि पर कब्जा कर ले

तो उसे बेदखल करने की डिक्री पारित कर दी है । इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपने आप में एक विरोधाभासी है जबकि कानूनन किसी भी सहखातेदार का कब्जा हो लेकिन सभी सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा । इस सभी तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए राजस्व रेकार्ड के विपरीत बिना पक्षकारान की साक्ष्य लिये मनमाने तौर पर एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । ग्राम भिलवाडी, तहसील पचपहाड़ के खाता संख्या नया 157 पुराना 147 खसरा नम्बर 104 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 249 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा के सम्बन्ध में न्यायालय में पक्षकारान के बीच बंटवारा आराजी का वाद लम्बित चल रहा है । इस तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील प्रदान किया है जबकि उक्त वाद भी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है । समान पक्षकारान है यदि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरणों का निस्तारण बिना कानूनी प्रक्रिया के ही करना था तो कम से कम दोनों पत्रावलियां कैम्प में रखकर दोनों को कन्सोलिडेट करके दोनों में एक साथ निर्णय करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न करते हुए आदेश जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । विवादित आराजी का जब तक पक्षकारान में विधिवट बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक हर सहखातेदार को हर इंच सहखातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग करने का अधिकार होता है । इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद मेंटेनेबल नहीं होते हुए भी दावा डिक्री करने में त्रुटि की है । यदि निर्णय व डिक्री जैर अपील की पालना में राजस्व रिकार्ड में तब्दीली कर दी गई तथा उक्त आराजी को रेस्पोडेंट ने अपने खाते गलत रूप से दर्ज करवा लिया तो अपीलांट को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी । अपीलांट उक्त प्रकरण में अपनी सम्पूर्ण जवाबदेही व साक्ष्य पेश करते उससे पूर्व ही कैम्प में उक्त पत्रावली रखकर पक्षकारान की अनुपस्थिति में उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है । अतः आदेश जैर अपील हर प्रकार से काबिले निरस्तनीय

है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2018 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी पी सी के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना की गई है व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, सहखातेदारों के अधिकार के विपरीत है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.05.2018 अपास्त की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी पी सी के प्रावधानों की पालना कर पुनः न्यायसंगत निर्णय अधिकतम 6 माह में पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा